	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय **(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)** **जोबनेर जिला :जयपुर (राजस्थान) 303329**

No.( )/Asalpur Farm/Horti/SKNCOAJ/2025/1325 Date: 26/09/2025

खुली निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय) जोबनेर, जयपुर के आसलपुर फार्म पर रबी **2025–26** की विभिन्न फसलों के बीज एवं व्यावसायिक उत्पादन हेतु हिस्सा आधारित खेती लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ दिनांक 06.10.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र 500/– रूपये महाविद्यालय के लेखा शाखा कार्यालय में नगद जमा करवाकर कार्यालय समय में प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा निविदा फार्म श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in या sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रूपये 500/– का डी.डी. लगाकर कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा जारी होने के पश्चात 500/–रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि कार्यालय में नगद/डी.डी. के द्वारा कार्य शुरू करने से पहले जमा करवानी होगी। निविदा दिनांक 06.10.2025 को दोपहर 02.15 बजे कमेटी के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in, sppp.rajasthan.gov.in कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि स्वयं/ नामित सदस्य को दिनांक 06.10.2025 को कार्यालय श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. फार्म इंचार्ज, आसलपुर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. कैशियर, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. नोटिस बोर्ड, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।

प्रभारी
आसलपुर फार्म

उद्यान विज्ञान विभाग
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329
फोन नं. 01425-254022(कार्यालय) *e-mail* - @sknau.ac.in

No./Hort/2025/ 1325 Dated: 26/09/2025

<u>निविदा प्रपत्र</u>

हिस्सा आधारित खेती :–

1. **योजना का नामः** रबी फसलें – वर्ष 2025–26 हिस्सा आधारित खेती			
2. **बजट मदः** रिवोल्विग फंड			
3. **कार्य की अनुमानित अवधिः** 6 माह (एक सीजन रबी 2025–2026)			
4. **अमानत राशि की प्रकृति व राशिः** सफल निविदादाता को 500/– प्रति हैक्टर की दर से डी0डी0 या नगद महाविद्यालय के लेखा शाखा में जमा करवानी होगी।			
5. **निविदा खोलने की दिनांक व समय :–** 06.10.2025 दोपहरः 2.15 बजे			
6. **निविदादाता :** कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य व शर्तो का विवरण नीचे दर्शाया गया है।			
क्र.सं	**बोई जाने वाली फसल का नाम**	**उत्पादन में ठेकेदार द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत)**	
1	सम्भावित बोई जाने वाली फसलें – जौ(7.0 हे.), सरसों (3.0 हे.),	जौ	
		सरसों	

निविदा की शर्ते :–

1. हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई–गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप मे करवाई जा सकती है।
2. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ठेकेदार) को करने होगें। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई–गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरको का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होगें।
3. खड़ी फसल मे हिस्सा लेने पर हिस्साधारक को फसल मे निराई–गुड़ाई से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम मे रखने तक के सभी कार्य करने होगें।
4. फसलो का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होगें।
5. हिस्साधारक को हिस्सा छूटने के बाद एवं कार्यारम्भ करने से पहले 500/– प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
6. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसिंग सहित) केन्द्र प्रभारी द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
7. ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र प्रभारी द्वारा करवायें जायेगें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।

8. फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणो, औजारों, फव्वारे के पाईपो व नोजल इत्यादि की देख–रेख की जिम्मेदारी हिस्साधारक की होगी।
9. बीज उत्पादन हेतु समस्त शस्य कियाये फार्म मेनेजर/ईन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिको व औजारों की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
10. फार्म की चौकीदारी ,पशु–पक्षियों से रखवाली, फसलो के आस–पास की सफाई हिस्साधारक को दिन व रात में करनी होगी।
11. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
12. व्यावसायिक उत्पादन मे हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा निविदादाता के द्वारा दर्शाये हिस्सा प्रतिशत के बराबर दिया जायेगा ।
13. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम मे रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख मे करवाना होगा।
14. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी निविदा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
15. हिस्साधारक को बीजोत्पादन में से बीज का हिस्सा नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि उत्पादन को गोदाम में जमा कराने की तिथि से नजदीकी सरकारी मण्डी में 7 दिन पहले एवं 7 दिन बाद तक के औसत मण्डी भाव के अनुसार अदा की जायेगी। हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा निविदादाता के द्वारा दर्शाये हिस्सा प्रतिशत के बराबर दिया जायेगा ।
16. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होगें।
17. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा।
18. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिको के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगें।
19. मौसम या अन्य कारणो से अगर फसल खराब होती है तो हिस्साधारक को श्रमिको की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।
20. केन्द्र प्रभारी निविदा के समय केन्द पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अन्य निविदा शर्तो को भी शामिल कर सकते है।
21. केन्द्र द्वारा हिस्साधारक को उत्पादन भण्डार मे रखने के एक माह मे हिस्सा राशि संबंधित हिस्सादार को अदा की जाएगी।
22. निराई गुडाई, फसल कटाई, थ्रेसिग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा।
23. थ्रसिंग मशीन की व्यवस्था फार्म प्रभारी /फार्म मैंनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो । अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो फार्म मैंनेजर द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
24. फसल में रोगिंग (अवांछित पौधे हटाना) का कार्य फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञानुसार निविदादाता को ही करना होगा।

25. प्रस्तावित निविदा पत्र अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के ऊपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।

26. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की काटं–छांट स्वीकार नहीं होगी।

27. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी सिंचाई करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि घटाई/बढाई जा सकती है.।

28. हिस्सेदारी से अधिक हिस्सेदारी मांगे जाने पर ठेकेदार की निविदा निरस्त की जा सकती है।

29. बोई जानी जाने वाली फसल के प्रकार एवं कुल क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

30. किसी भी वैधानिक स्थिति में न्यायक्षेत्र जोबनेर, जयपुर होगा।

अधिष्ठाता

श्री क.न.कृषि महाविद्यालय जोबनेर

मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्तें मंजूर है तथा में उक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत हू

कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :–

पताः–

मो0 न0:–

आधार सं.

बैंक खाता संख्या एवं पताः–